



प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़

दिनांक:- 07-02-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.02.2021 को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 802/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में नामजद /बांछित व 15000 रुपये का इनामिया अभियुक्त मोनू पाल उर्फ सौरभ पुत्र फेरू सिंह उर्फ फेरू पाल निवासी मो0 अंगूरी बाग गंगादरवाजा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ समय करीब 11.35 बजे बाबा की कुंठिया हैबतपुर गढ़िया के सामने से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

मोनू पाल उर्फ सौरभ पुत्र फेरू सिंह उर्फ फेरू पाल निवासी मो0 अंगूरी बाग गंगादरवाजा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।



बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू पाल उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 191/20 धारा 41/411/414 भादवि थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 86/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 793/16 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 802/20 धारा 3(1) गैंगस्टर थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 67/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0 18/2021 धारा 380 भादवि थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 36/2021 धारा 307 भा0द0वि0 (पु0मु0) थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं0 62/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम. -

1. प्रभारी निरीक्षक थाना मऊदरवाजा जयप्रकाश शर्मा मय टीम।